कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद

पत्रांक 100 /

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त
–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, औरंगाबाद।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

औरंगाबाद, दिनांक 15.02.2020

विषय :– जिला परिषद माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन–2019 से संबंधित सूचना जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छठे चरण जिला परिषद माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित मेधा सूची एवं सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है जिसे जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
15/2/2020

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, औरंगाबाद

15.2.20. 15.2.2020

कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद

सूचना

छठे चरण जिला परिषद माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित विभागीय मार्गदर्शन पत्रांक 2298 दिनांक 05.12.2019 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए प्राचीन इतिहास अथवा लोक प्रशासन से स्नातक/प्रतिष्ठा के आधार पर आवेदन करने पर क्रमशः इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र विषय के समरूप मानते हुए कार्रवाई की जानी है। उक्त निदेश के आलोक में सामाजिक विज्ञान विषय की संशोधित मेधा सूची तैयार कर जिले के वेब साईट www.aurangabad.bih.nic.in पर प्रकाशित की गयी है। इसमें वैसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया हैं जिन्हें इन विषयों के कारण पूर्व की सामाजिक विज्ञान विषय की मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया था।

छठे चरण अंतर्गत शिक्षक नियोजन हेतु विभागीय ज्ञापांक 1973 दिनांक 28.10.2019 के निदेशानुसार औपबंधिक मेधा सूची पर प्राप्त 132 आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त दिनांक 30.11.2019 को प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 02.12.2019 से दिनांक 05.12.2019 तक माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक के सभी विषयों का मूल प्रमाण–पत्रों का मिलान/जाँच किया गया था। जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय में प्राचीन इतिहास एवं लोकप्रशासन विषय के अभ्यर्थियों को विषय विसंगति के कारण जाँच/मिलान में शामिल नहीं किया गया था। विभागीय मार्गदर्शन पत्रांक 2298 दिनांक 05.12.2019 के आलोक में प्रकाशित सामाजिक विज्ञान विषय की संलग्न मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी मूल प्रमाण–पत्रों की जाँच/मिलान हेतु संशोधित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17.02.2020 से 19.02.2020 तक कार्यालय अवधि में अपने समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक तथा अन्य मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर जाँच/मिलान कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ–साथ उक्त सभी प्रमाण पत्रों की एक स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति फोल्डर फाईल में कार्यालय में जमा करने हेतु लेकर आयेंगे। जो अभ्यर्थी उक्त जाँच/मिलान कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होगे नियोजन की आगे की प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 11/वि 11–40/2017–105 दिनांक 31.01.2020 के आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा उतीर्णता तिथि एवं बी0एड0 प्रशिक्षण उतीर्णता तिथि के आधार पर मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व प्रभावित हो सकता है।

नोट :– उपरोक्त जाँच मिलान कार्यक्रम में केवल सामाजिक विज्ञान विषय के प्राचीन इतिहास एवं लोकप्रशासन विषय से प्रतिष्ठा/स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित होना है। शेष अन्य विषयों का जाँच/मिलान पूर्व में पूर्ण हो चुका है अतः ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जाँच/मिलान हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

15/2/2020

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, औरंगाबाद

15.2.20.
15.2.2020